



पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

विकास विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर छ.ग.

फार्म नंबर : ①

निविदा फार्म का मूल्य रु. 500.00

वि०वि० रसीद क्रमांक -

दिनांक -



विश्वविद्यालय के वाहन क्रं. CG - 04 - J - 5471 एवं वाहन
क्रं. CG - 04 - ZB - 0391 पुराने वाहन विक्रय हेतु निविदा प्रपत्र एवं शर्तें



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

-: निविदा सूचना :-

क्र० /विकास/निसू./2017

रायपुर, दिनांक 03-03-2017

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर से निर्माताओं तथा उनके अधिकृत विक्रेताओं से (1) Center for Cognitive Science, (2) Center for Integrated Tribal Studies (3) Center for Translational Chronobiology (4) Center for Geriatrics and Gerontology (5) CBS के लिए Networking उपकरण सामग्री क्रय करने (6) यांत्रिकी विभाग के लिए इलेक्ट्रिकल सामग्री क्रय करने (7) वि०वि० में उपलब्ध पुराने वाहन क्रं. CG-04-J-5471, Mahindra Bolero Camper MDI ऑफसेट मूल्य राशि रूपए 40000.00 निर्धारित किया गया है, को विक्रय जाना हैं। इच्छुक फर्म रजिस्ट्रार कार्यालय से पाँच सौ रूपये नगद भुगतान कर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि- 09/03/2017 को 3:00 PM तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से, निविदा खोले जाने की तिथि-10/03/2017 को 11:30 AM संबंधित विभागों में खोला जावेगा। निविदा का विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय के **Website:-www.prsu.ac.in** पर देखा जा सकता है ।

कुलसचिव

नोट :- निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें ।



विकास विभाग

पं. रविशंकर शुक्ल वि. वि., रायपुर छ.मं.

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ०ग०)

मूल्य 500/- (पांच सौ रूपये मात्र)

प्रपत्र-अ

आपके द्वारा जारी निविदा क्रमांक 36/विकास/2017 दिनांक 03.03.2017 में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर स्थित, Mahindra Bolero Camper MDI, वाहन क्रमांक CG - 04 - J - 5471, एवं टाटा 407 वाहन क्रमांक CG - 04 - ZB - 0391 पुराना वाहन विक्रय करने हेतु निविदा आमंत्रित की गई है।

में उक्त निविदा में उल्लेखित Mahindra Bolero Camper MDI, वाहन क्रमांक CG - 04 - J - 5471, एवं टाटा 407 वाहन क्रमांक CG - 04 - ZB - 0391 पुराना वाहन क्रय करने हेतु विश्वविद्यालय के द्वारा एक वाहन के लिए निर्धारित अमानत राशि रु. 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये) एवं दोनों वाहन के लिए अमानत राशि रु. 40,000/- (अक्षरी चालीस हजार रूपये) संलग्न कर प्रेषित है।

पुराना वाहन क्रय हेतु दर

क्र०	वाहन का विवरण	ऑफसेट मूल्य राशि रूपए	दर
1	Mahindra Bolero Camper MDI, वाहन क्रमांक CG - 04 - J - 5471,	40,000.00	
2	टाटा 407 वाहन क्रमांक CG -04-ZB - 0391	60,000.00	

रायपुर

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम

उम्र

पूर्ण पता

मो. नं.

पेन कार्ड की छायाप्रति



विकास विभाग

रा. वि. वि. वि., रायपुर छ.न.

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रा


(ग०)

Mahindra Bolero Camper MDI, वाहन क्रमांक **CG - 04 - J - 5471**, एवं टाटा 407 वाहन क्रमांक **CG -04 - ZB - 0391** के लिए विश्वविद्यालय के वाहन प्रकोष्ठ में संपर्क कर, वाहन जहाँ पर स्थित है जिस हालत में स्थित है वाहन देखने हेतु समय 10:30 बजे से 05:30 बजे के बीच, दिनांक 08.03.2017 तक उक्त वाहन देखा जा सकता है।

अनिवार्य शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. निविदाकार वाहन क्रय करने हेतु एक वाहन के लिए राशि रू. 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये) एवं दोनों वाहन के लिए राशि रू. 40,000/- (अक्षरी चालीस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट " कुलसचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर" के नाम से देय हो संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदाकर्ता को विकास विभाग में कार्यालयीन अवधि 10:30 से 05:30 बजे तक स्पीड पोस्ट में माध्यम से दिनांक 09.03.2017 तक भेजना होगा।
3. विश्वविद्यालय द्वारा मोहरबंद आमंत्रित निविदाओं के लिए गठित समिति द्वारा 10.03.2017 को 11:30 AM बजे खोली जावेगी।
4. निविदाकर्ता को आयकर विभाग द्वारा जारी PAN कार्ड का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
5. एक वाहन के लिए अमानत राशि रू. 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रूपये) एवं दोनों वाहन के लिए अमानत राशि रू. 40,000/- (अक्षरी चालीस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट अधिकतम बोली दाता द्वारा विक्रय राशि में समायोजित कर शेष राशि वित्त विभाग में 03 दिन के अंदर विश्वविद्यालय के कोष में जमा करना होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर से अधिकतम बोली लगाने वाले खरीददार को वाहन विक्रय किया जावेगा यदि 03 दिन के अंदर उक्त राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा न होने पर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी कम दर पर बोली लगाने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार का यह अधिकार नहीं होगा कि वह अधिकतम बोली दाता के वाहन न लिए जाने पर कम दर बोली लगाये जाने वाले व्यक्ति के द्वारा विश्वविद्यालय को बाध्य नहीं कर सकता इसका विज्ञापन पुनः किया जावेगा।
7. निविदा में शामिल होने वाले ऐसे निविदाकार जो अधिकतम बोली में सफल न होने की स्थिति में उनका बैंक ड्राफ्ट एक सप्ताह पश्चात् विकास विभाग द्वारा वापस कर दिया जवेगा। उक्त एक सप्ताह के अंदर बैंक ड्राफ्ट वापस न ले जाने वाले निविदाकार को उनके दिए हुए पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेजा जावेगा।
8. निविदा में मोहरबंद लिफाफे से सफल बोली न लगने की स्थिति में विश्वविद्यालय का संपूर्ण अधिकार होगा कि वह अधिकृत डीलर के निर्धारित मूल्यांकन पर विश्वविद्यालय के द्वारा वाहन का विक्रय कर सकेगा।
9. निविदाकार उक्त वाहन का नाम स्थानांतरण कराने पर फार्म 29, 30 में निविदाकार अपने नाम पर स्थानांतरित करावेगा, अन्य किसी के नाम पर स्थानांतरण नहीं किया जावेगा।

आदेशानुसार


कुलसचिव